न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस
प्रकरण संख्या :– 13/2025 ई.रे.

मांगीलाल बनाम मोहनसिंह वगैरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. व धारा 152 जा.दी.

// आदेश // **दिनांक :– 27/11/2025**

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मांगीलाल की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व 152 जा.दी. के अन्तर्गत पेश कर उल्लेखित किया की न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 9/18 प्रार्थना पत्र का दिनांक 9.12.2024 को निर्णय किया गया है तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के अनुसार न्यायालय दिनांक 9.12.2024 को विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है तथा प्रार्थना पत्र संख्या 9/18 के चरण संख्या मे टाईपिंग मिस्टेक से आराजी नम्बर 286 की जगह 296 दर्ज हो गया था जो आदेशिका दिनांक 31.1.2018 मे भी हो गया है तथा अन्य तथ्यों का उल्लेखित करते हुए आराजी नम्बर 296 की जगह 286 अंकित की जाए यह मांग की गई है।

विपक्षीगण की और अपना जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र खारीज करने की मांग की गई।

हमारे द्वारा प्रकरण संख्या 9/18 का अवलोकन किया गया और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 निमय 17 व 152 जा.दी. का अवलोकन किया गया और बहस सुनी गई।

प्रकरण मे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9.12.2024 को आदेश पारित किया गया है जिसकी नकल प्रार्थी की और से प्राप्त की गई साथ ही इस न्यायालय द्वारा मात्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निस्तारण किया गया है तथा वाद का निर्णय अभी बाकी है तथा महत्वपूर्ण बात की इस प्रकरण मे अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 31.1.2018 को जारी की गई है और इस अतंरित निषेधाज्ञा की जानकारी प्रार्थी को रही है लेकिन अंतिम आदेश होने के भी काफी समय बाद प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से यह कही प्रकट नहीं हो रहा है कि उसको इस संबंध मे किस दिनांक को जानकारी हुई जहां तक आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रश्न है वह मात्र विचाराधीन प्रकरण मे ही लागू किया जा सकता है जबकि जिस प्रकरण मे प्रार्थना पत्र पेश हुआ है उसका निस्तारण किया जा चुका है तथा 152 जा.दी. का प्रश्न है। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित नम्बरों के आधार पर ही आदेश पारित किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मे कोई बल नहीं पाता हूं और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व 152 जा.दी. को अस्वीकार कर खारीज किया जाना उचित समझता हूं। अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व 152 जा.दी. अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:21:08 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी